प्रेस नोट
दिनांक 25.03.2026
जनपद - गोण्डा।

यक्ष एप की सहायता से थाना वजीरगंज पुलिस को मिली सफलता, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे व निशानदेही पर चोरी के 15 सिलेण्डर व अन्य सामान सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद-

कार्यवाही-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 109/2026 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2), 318(4), 319(2) बीएनएस के अनावरण में पुलिस टीम द्वारा आधुनिक तकनीक "यक्ष एप" का प्रभावी उपयोग करते हुए उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई। थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा घटना के अनावरण हेतु पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ डिजिटल पुलिसिंग को प्राथमिकता देते हुए यक्ष एप का सहारा लिया गया। यक्ष एप के माध्यम से सर्किल के स्कूल में चोरी करने वालों की सूची का अवलोकन कर संदिग्ध श्यामू को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह कबूल किया कि उक्त अभियोग से संबंधित घटनाओं को उसी ने अंजाम दिया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 20.03.2026 को वादी श्री सन्तोष कुमार सिंह पू0 मा0 विद्यालय कादीपुर शि0क्षे0 वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना वजीरगंज पर लिखित तहरीर दी गयी कि बीती रात उच्च प्रा०वि० चन्दापुर वजीरगंज जनपद गोण्डा के किचन का ताला तोड़कर उसमे रखा गैस सिलेण्डर एक बड़ा भगौना, पानी का मोटर व राशन उठा ले गये। तथा उ0प्रा0 विद्यालय कादीपुर शिक्षा क्षेत्र वजीरगंज गोण्डा के विद्यालय के किचन शेड का ताला तोड़कर उसमे रखा गैस सिलेण्डर, एक बड़ा व एक छोटा भगैना, टिल्लू मोटर व कमरे का ताला तोड़कर एक बोरी राशन उठा ले गये। और पू०मा० विद्यालय अनभुला वजीरगंज गोण्डा का ताला तोड़कर वहाँ से भी एक बोरी चावल चोरी कर ले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा पारंपरिक साक्ष्यों के साथ-साथ डिजिटल पुलिसिंग को प्राथमिकता देते हुए "यक्ष एप" का प्रभावी उपयोग किया गया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना तरबगंज में विद्यालयों में चोरी से संबंधित एक अभियोग पंजीकृत था, जिसकी फीडिंग वजीरगंज पुलिस द्वारा यक्ष एप में की गई थी। यक्ष एप पर उपलब्ध समान प्रकृति के अपराधों के विश्लेषण के आधार पर संदिग्ध अभियुक्त श्यामू मौर्या को चिन्हित कर पुलिस हिरासत में लिया गया। गहन पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा उक्त चोरी की घटनाओं को अपने द्वारा कारित करना स्वीकार किया गया। अभियुक्त के कब्जे व निशानदेही पर 01 अदद मोटरसाइकिल, 15 अदद गैस सिलेण्डर, 01 अदद कुकर एवं 02 अदद टिल्लू पम्प बरामद किए गए।

पूछताछ का विवरण-

पुलिस पूछताछ में अभियुक्त श्यामू मौर्या द्वारा बताया गया कि उसी ने थाना क्षेत्र वजीरगंज में स्थित सरकारी विद्यालयों के ताले तोड़कर चोरी की घटनाएं की हैं। वह रात्रि के समय सुनसान विद्यालयों को चिन्हित करके उनके कमरों के ताले तोड़ कर वहां रखे गैस सिलेंडर, टिल्लू पम्प (पानी का मोटर), प्रेशर कुकर, बर्तन तथा खाद्यान्न (चावल, गेहूं आदि) चोरी कर ले जाता था। चोरी किए गए सामान को वह अपनी मोटरसाइकिल से ले जाकर अपने घर या अन्य सुरक्षित स्थानों पर छिपाकर रख देता था । बाद में इन सामानों को चलते-फिरते फेरीवालों या कबाड़ी/दुकानदारों को बेच देता था । जिससे प्राप्त धनराशि को उसने अपने निजी खर्चों एवं नशे (स्मैक/गांजा आदि) में खर्च कर दिया है ।

अभियुक्त का विवरण-

1. श्यामू मौर्या पुत्र शिवप्रसाद उम्र 28 वर्ष नि0 ग्राम भानपुरवा मौजा गंगरौली थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 109/2026 धारा 331(4), 305(ए), 317(2), 318(4), 319(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 अदद मोटरसाइकिल
2. 15 अदद गैस सिलेण्डर
3. 01 अदद कुकर
4. 02 अदद टिल्लू पम्प

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 अनिरुद्ध सिंह (थाना वजीरगंज) मय हमराह
2. उ0नि0 विकास गुप्ता (थाना वजीरगंज)
3. हे0कां0 अमितेश सिंह (सर्विलांस सेल)
4. हे0कां0 बिरजू (सर्विलांस सेल)
5. कां0 अन्शुमान पाण्डेय (सर्विलांस सेल)
6. हे0का0 रोबिन सिंह (थाना वजीरगंज)
7. का0 सुशील सिंह (थाना वजीरगंज)
8. नागेन्द्र यादव (थाना वजीरगंज)

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट

जनपद – गोण्डा
दिनांक – 25.03.2026

पुलिस अधिकारियों/कर्मियों हेतु एचआईवी/एड्स विषयक जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यशाला का हुआ आयोजन-

गोण्डा। जनपद गोण्डा में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से जिला स्वास्थ्य समिति, गोण्डा द्वारा एक दिवसीय जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला एचआईवी/एड्स अधिनियम-2017 पर आधारित रही, जिसमें संबंधित प्रावधानों, अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल उपस्थित रहे। जिनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा एचआईवी/एड्स के संक्रमण के कारण, बचाव के उपाय, जांच एवं उपचार की उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही एचआईवी/एड्स से ग्रसित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव न करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने तथा समाज में जागरूकता फैलाने पर विशेष बल दिया गया। यह भी बताया गया कि एचआईवी/एड्स अधिनियम-2017 के अंतर्गत संक्रमित व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करना दण्डनीय अपराध है तथा सभी को उनके सम्मान और गोपनीयता का अधिकार प्राप्त है। पुलिस कर्मियों को विशेष रूप से यह निर्देशित किया गया कि वे ऐसे मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और कानून के प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि पुलिस बल का दायित्व केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता प्रदर्शित करना भी है। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से अपेक्षा की कि वे एचआईवी/एड्स से संबंधित जानकारी को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यशाला के अंत में प्रतिभागियों द्वारा एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने तथा संक्रमित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाने का संकल्प लिया गया।

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा, जिला क्षय रोग अधिकारी/जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉ0 जय गोविन्द एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) की ओर से श्रीमती अंकिता सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 25.03.2026
जनपद गोण्डा ।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अश्लील वीडियो वायरल करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-314/2026, धारा 79, 351(3), 356(2) बीएनएस व 66ई/67बी आई0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विनय पुत्र बेचन लाल निवासी ग्राम नगवा थाना गैड़ास बुजुर्ग जनपद बलरामपुर को चिरकुटिया चौराहे से 300 मीटर आगे नगवा जाने वाले सड़क (बलरामपुर) से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.02.2025 को थाना खरगूपुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी विनय पुत्र बेचनलाल द्वारा उसकी 14 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था जिसके विरुद्ध पाक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें विपक्षी जमानत पर छूटने के बाद प्रार्थिनी एवं उसकी पुत्री को जान से मारने की धमकी एवं अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है। जिससे वादिनी की पुत्री अवसादग्रस्त है। प्रार्थिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 25.03.2026 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान वांछित आरोपी अभियुक्त विनय पुत्र बेचन लाल निवासी ग्राम नगवा थाना गैड़ास बुजुर्ग जनपद बलरामपुर को चिरकुटिया चौराहे से 300 मीटर आगे नगवा जाने वाले सड़क (बलरामपुर) से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विनय पुत्र बेचन लाल निवासी ग्राम नगवा थाना गैड़ास बुजुर्ग जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 314/2026, धारा 79, 351(3), 356(2) बीएनएस व 66ई/67बी आई0टी0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सत्यनरायन यादव मय हमराह
02. हे0का0 सुनील प्रसाद
03. का0 रविशंकर खरवार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 25.03.2026
जनपद - गोण्डा।

'यक्ष एप' की सहायता से थाना वजीरगंज पुलिस को मिली सफलता, 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे व निशानदेही पर चोरी के 15 सिलेण्डर व अन्य सामान सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 109/2026 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2), 318(4), 319(2) बीएनएस के अनावरण में पुलिस टीम द्वारा आधुनिक तकनीक "यक्ष एप" का प्रभावी उपयोग करते हुए उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई। थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा घटना के अनावरण हेतु पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ डिजिटल पुलिसिंग को प्राथमिकता देते हुए यक्ष एप का सहारा लिया गया। यक्ष एप के माध्यम से घटनास्थल के आसपास के उपलब्ध CCTV कैमरों की लोकेशन पर फुटेज तलाशे गए , जिसमें संदिग्ध चोर की फुटेज प्राप्त हुई । यक्ष ऐप के माध्यम से तरबगंज सर्किल के थानाक्षेत्रों में रहने वाले चोरों की सूची का अवलोकन किया तो ज्ञात हुआ कि संदिग्ध श्यामू मौर्या जो थाना उमरी बेगमगंज का निवासी है , और पूर्व में भी थाना तरबगंज से गैस सिलेंडर चोरी के प्रकरण में जेल जा चुका है और जमानत पर जेल से बाहर है । संदिग्ध श्यामू को उसकी गतिविधियों के आधार पर पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उक्त अभियोग से संबंधित घटनाओं को उसी ने अंजाम दिया है, अभियुक्त के कब्जे व निशानदेही पर 01 अदद मोटरसाइकिल, चोरी के 15 अदद गैस सिलेण्डर, 01 अदद कुकर एवं 02 अदद टिल्लू पम्प बरामद किए गए।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.03.2026 को वादी श्री सन्तोष कुमार सिंह पू0 मा0 विद्यालय कादीपुर शि0क्षे0 वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना वजीरगंज पर लिखित तहरीर दी गयी कि बीती रात उच्च प्रा०वि० चन्दापुर वजीरगंज जनपद गोण्डा के किचन का ताला तोड़कर उसमे रखा गैस सिलेण्डर एक बड़ा भगौना, पानी का मोटर व राशन उठा ले गये । तथा उ0प्रा0 विद्यालय कादीपुर शिक्षा क्षेत्र वजीरगंज गोण्डा के विद्यालय के किचन शेड का ताला तोड़कर उसमे रखा गैस सिलेण्डर, एक बड़ा व एक छोटा भगौना, टिल्लू मोटर व कमरे का ताला तोड़कर एक बोरी राशन उठा ले गये । और पू०मा० विद्यालय अनभुला वजीरगंज गोण्डा का ताला तोड़कर वहाँ से भी एक बोरी चावल चोरी कर ले गये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा पारंपरिक साक्ष्यों के साथ-साथ डिजिटल पुलिसिंग को प्राथमिकता देते हुए "यक्ष एप" का प्रभावी उपयोग किया गया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना तरबगंज में विद्यालयों में चोरी से संबंधित एक अभियोग पंजीकृत था, जिसकी फीडिंग तरबगंज पुलिस द्वारा यक्ष एप में की गई थी । यक्ष एप पर उपलब्ध समान प्रकृति के अपराधों के विश्लेषण के आधार पर संदिग्ध अभियुक्त श्यामू मौर्या को चिन्हित कर पुलिस हिरासत में लिया गया । गहन पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा उक्त चोरी की घटनाओं को अपने द्वारा कारित करना स्वीकार किया गया और शत प्रतिशत बरामदगी कराई गई ।

पूछताछ का विवरण-

पुलिस पूछताछ में अभियुक्त श्यामू मौर्या द्वारा बताया गया कि उसी ने थाना क्षेत्र वजीरगंज में स्थित सरकारी विद्यालयों के ताले तोड़कर चोरी की घटनाएं की हैं। वह रात्रि के समय सुनसान विद्यालयों को चिन्हित करके उनके कमरों के ताले तोड़ कर वहां रखे गैस सिलेंडर, टिल्लू पम्प (पानी का मोटर), प्रेशर कुकर, बर्तन तथा खाद्यान्न (चावल, गेहूं आदि) चोरी कर ले जाता था। चोरी किए गए सामान को वह अपनी मोटरसाइकिल से ले जाकर अपने घर या अन्य सुरक्षित स्थानों पर छिपाकर रख देता था । बाद में इन सामानों को चलते-फिरते फेरीवालों या कबाड़ी/दुकानदारों को बेच देता था । जिससे प्राप्त धनराशि को उसने अपने निजी खर्चों एवं नशे में खर्च कर दिया है ।

अभियुक्त का विवरण-

1. श्यामू मौर्या पुत्र शिवप्रसाद उम्र 28 वर्ष नि0 ग्राम भानपुरवा मौजा गंगरौली थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा ।

अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 109/2026 धारा 331(4), 305(ए), 317(2), 318(4), 319(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 - 55/2026 धारा 305A बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
3. मु0अ0सं0 - 64/2026 धारा 305A बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
4. मु0अ0सं0 - 77/2026 धारा 305A बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
5. मु0अ0सं0 88/2026 धारा 305A बीएनएस थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
6. मु0अ0सं0 86/2026 धारा 305A बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 अदद मोटरसाइकिल
2. 15 अदद गैस सिलेण्डर
3. 01 अदद कुकर
4. 02 अदद टिल्लू पम्प

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 अनिरुद्ध सिंह (थाना वजीरगंज) मय हमराह
2. उ0नि0 विकास गुप्ता (थाना वजीरगंज)
3. हे0कां0 अमितेश सिंह (सर्विलांस सेल)
4. हे0कां0 बिरजू (सर्विलांस सेल)
5. कां0 अन्शुमान पाण्डेय (सर्विलांस सेल)
6. हे0का0 रोबिन सिंह (थाना वजीरगंज)
7. का0 सुशील सिंह (थाना वजीरगंज)
8. नागेन्द्र यादव (थाना वजीरगंज)

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 25.03.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जालसाजी व आपराधिक विश्वासघात करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के

नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-280/25, धारा 319(2), 318 (4),338,336 (3),340 (2),316 (2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सूरज मिश्रा पुत्र स्व0 हनुमन्तलाल मिश्रा उम्र करीब 29 वर्ष नि0 पंचरूखी मनोहरजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को रोडवेज बसअड्डा (गोण्डा) के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.09.2024 को वादी कलीम मोहम्मद कलीम पुत्र स्व बब्बू खां निवासी महराजगंज शहर,थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगणों 1. रुस्तम, 2. प्रमोद मौर्या, 3. सूरज मिश्रा आदि द्वारा प्रार्थी को बहराईच में जमीन दिखाकर एडवांस में कुल रु0 3,50,000/- रूपये ले लिया । प्रार्थी द्वारा बैनामा कराने को कहने पर टाल मटोल करने लगे । शक होने पर प्रार्थी द्वारा गहराई से जमीन के बारे में जाँच पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि विपक्षीगण द्वारा षडयंत्र एवं जालसाजी करके किसी अन्य महिला को मालती देवी बनाकर उसके फर्जी आधार कार्ड तैयार कराकर जालसाजी व आपराधिक विश्वासघात करके प्रार्थी का रु0 3,50,000/- हड़प लेना चाहते हैं । वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 25.03.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए वांछित अभियुक्त- सूरज मिश्रा पुत्र स्व0 हनुमन्तलाल मिश्रा उम्र करीब 29 वर्ष नि0 पंचरूखी मनोहरजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को रोडवेज बसअड्डा (गोण्डा) के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सूरज मिश्रा पुत्र स्व0 हनुमन्तलाल मिश्रा उम्र करीब 29 वर्ष। नि0 पंचरूखी मनोहरजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-280/25, धारा 319(2), 318 (4),338,336 (3),340 (2),316 (2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 मनीष कुमार
02. कां0 गोविन्द कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।